

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/31-22 प्र.सं. रीची, दिनांक- 31.03.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिनू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल गोडडा अन्तर्गत कुल 03 अदद चेकडैम योजनाओं के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 296.411 लाख (रुपये दो करोड़ छियानबे लाख इकतालीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- 2 जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल गोडडा अन्तर्गत कुल 03 अदद चेकडैम योजनाओं के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 296.411 लाख (रुपये दो करोड़ छियानबे लाख इकतालीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति पर आधारित है।
- 4 (क) प्रस्तावित चेकडैम की 03 योजनाओं के अंतर्गत कुल 03 अदद चेकडैम की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
(ख) प्रस्ताव की कुल लागत रु. 296.411 लाख है, जिससे कुल 165 हे. (खरीफ-120 हे0 एवं रब्बी-45 हे0) क्षेत्र सिंचन क्षमता सृजन का आकलन है। प्रस्ताव का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रु. 1.796 लाख प्रति हेक्टेयर आकलित है।
- 5 चेकडैम योजना में डीजल चालित पम्प एवं पाईप का वितरण अथवा सौर उर्जा चालित सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन योजना के जल उपयोगकर्ता संघ की माँग के अनुरूप किया जाएगा।
- 6 उक्त के आलोक में चेकडैम योजनाओं के प्राक्कलन में पम्प एवं पाईप के लागत एवं अधिष्ठापन की राशि को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- 7 राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं सुखाड की समस्या को देखते हुए छोटे-छोटे नदी नालों के जल बहाव को रोक कर चेकडैम का निर्माण किया जाना है। इनके निर्माण से नदी नालों के जल को संरक्षित कर आगामी वर्षों में कृषकों को सिंचाई सुविधा के साथ-साथ दैनिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- 8 चेकडैम के निर्माण के पूर्व स्थल का सर्वेक्षण कर जल के प्रवाह की गति, मिट्टी का प्रकार, कमांड एरिया का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरान्त नदी/नाले के जलश्राव की गणना की जाती है एवं तदुपरान्त रूपांकण कर चेकडैम के विभिन्न अवयवों की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई एवं विशिष्टियों का निर्धारण किया जाता है जिससे कि संरचना का स्थायित्व प्रभावित न हो। योजना के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं संरचना के निर्माणाधीन अवयवों के गुणवत्ता की जांच भी समय-समय पर गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा की जाती है। इस प्रकार का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभियंता के द्वारा सम्पादित किया जाना योजना के हित में है।
- 9 योजनाओं का प्राक्कलन माननीय सांसदों/विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर तैयार किया गया है। जिन प्रखंडों की योजनाओं पर अनुशंसा प्राप्त नहीं है, उनमें वैसी योजनाओं का चयन किया गया है, जो तकनीकी रूप से संभाव्य हैं एवं योजना उपयोगी है।

- 10 चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली-2014 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना निर्माण प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख-रखाव का दायित्व होगा। जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
- 11 विभागीय पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
- 12 नई योजना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रावधान निम्नवत् है:-
बजट शीर्ष " मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष -101- सतही जल - उप शीर्ष -19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण- विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण -45- निर्माण कार्य" (50-S-4702-00-101-19-00-05-45) अंतर्गत रु0 571.00 लाख का बजट प्रावधान है।
- 13 इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा:-
बजट शीर्ष " मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - लघु शीर्ष -101- सतही जल - उप शीर्ष -19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण - विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण -45- निर्माण कार्य" (50-S-4702-00-101-19-00-05-45) अंतर्गत रु0 296.411 लाख भारित हो सकेगा।
- 14 प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2021-22 में प्रारम्भ कर 2023-24 तक पूर्ण किया जायेगा।
- 15 इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड़ा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका होंगे। कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।
- 16 कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 17 प्रस्तावित कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए योजनाओं का प्रबोधन किया जाएगा।
- 18 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
- 19 झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभाग के परिपत्रों के अधीन गोडड़ा कोषागार द्वारा की जाएगी।
- 20 उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में वर्तमान अनुसूचित दर पर जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल गोडड़ा अन्तर्गत कुल 03 अदद चेकडैम योजनाओं के निर्माण हेतु लागत राशि रु. 296.411 लाख (रुपये दो करोड़ छियानबे लाख इकतालीस हजार एक सौ), मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 21 प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 22 स्वीकृतादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0:- परिशिष्ट-1

95/01-22 प्र0स्वी०

31.03.2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव

जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/21-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/21-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, गोडड़ा झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/21-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022
प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंत्रण प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंत्रण योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंत्रण, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/मुख्य अभियंत्रण, लघु सिंचाई, दुमका / अधीक्षण अभियंत्रण, लघु सिंचाई, अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंत्रण, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड़ा, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/21-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022
प्रतिलिपि: आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य / 508 / 2022 95/21-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022
प्रतिलिपि: माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के अपूर्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०:- परिशिष्ट-।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी.एम.सी./ कार्य: /508/2022 35/01-22 प्र.सी. राँची, दिनांक- 31.03.2022

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /ई0 सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-1

8/03/22
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

लघु सिंचाई प्रमंडल गोडड़ा प्रक्षेत्राधीन श्रृंखलाबद्ध चैकडैम/चैकडैम निर्माण कार्य की सूची-

क्र०	ल०सि० प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	चैकडैम की सं०	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे०)			Incidence of cost	B.C Ratio 10%	अभि०
							खरीफ	रब्बी	कुल			
1	गोडड़ा	गोडड़ा	अकाशो नदी पर चैकडैम का निर्माण	1	पोडियाहाट	85.855	40	15	55	1.561	1.500	
2	गोडड़ा	गोडड़ा	बोअरीजोर नाला पर चैकडैम का निर्माण	1	बोअरीजोर	107.673	40	15	55	1.938	1.240	
3	गोडड़ा	गोडड़ा	डेमडा नाला पर चैकडैम का निर्माण	1	बोअरीजोर	102.883	40	15	55	1.871	1.290	
			कुल :-	3		296.411	120	45	165	1.796		

95/21-22 प्र०स्वी०

31.03.2022